



2026:AHC: 177686

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 6497 वर्ष 2025

लल्लू और एक अन्य

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता	: हरीश कुमार यादव, कृष्ण गोपाल यादव
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: आनंद विक्रम, शासकीय अधिवक्ता, मनीष पांडे, मृत्युंजय वर्मा

न्यायालय संख्या- 87

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

पुनरीक्षणवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश कुमार यादव, विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद विक्रम के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

विपक्षी संख्या 2 और 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संभल स्थित चंदौसी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125(3) के अंतर्गत विविध वाद संख्या 760 वर्ष 2023 (श्रीमती रानी और एक अन्य बनाम पुष्पेंद्र), थाना-संभल, जिला-संभल में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.08.2025 पर प्रहार करते हुए प्रस्तुत किया गया है जो द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत वाद संख्या 458 वर्ष 2019 (श्रीमती रानी और एक अन्य बनाम पुष्पेंद्र), थाना-संभल, जिला-संभल से उत्पन्न हुआ है।

पुनरीक्षणवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि, आक्षेपित आदेश द्वारा, विपक्षी संख्या 4, जो पुनरीक्षणवादी संख्या 1 का पुत्र है, के विरुद्ध पारित भरण-पोषण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदेश के निष्पादन में उनकी संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणवादी संख्या 2 उस संपत्ति की कब्जे वाली स्वामी है जिसे कुर्क करने की मांग की गई है और यह कि विपक्षी संख्या 4 पुनरीक्षणवादी संख्या 1 का पुत्र है जो अलग रह रहा है और उसे पुनरीक्षणवादी संख्या 1 की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विवादित मकान पुनरीक्षणवादी संख्या 2 के पक्ष में बेचा जा चुका है। पुनरीक्षणवादियों के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि, विपक्षी संख्या 4 की संपत्ति की कुर्की की मांग करते हुए विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर, विवादित मकान के स्वामित्व का सत्यापन किए बिना आक्षेपित आदेश पारित करके उसी दिन उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।

विपक्षी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया है कि विवादित मकान पुनरीक्षणवादी संख्या 2-श्रीमती माया पत्नी राम रतन के पक्ष में बेचा जा चुका है।

अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने पुष्पेंद्र अर्थात् विपक्षी संख्या 4 के मकान की कुर्की के लिए वह आदेश पारित किया है। आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है :-

"उपरोक्त परिस्थितियों में विपक्षी पुष्पेंद्र पुत्र लल्लू का मकान स्थित ग्राम करेली तहसील व थाना संभल जिला संभल, जिसकी सीमायें पूरब मकान अरविन्द, पश्चिम रास्ता, उत्तर अर्जी लल्लू आदि व दक्षिण मकान पप्पू की कुर्की हेतु कुर्की एवं विक्रय परवाना जारी हो। जिलाधिकारी संभल को पत्र जारी हो।

पत्रावली दिनांक 08.09.2025 को वास्ते अदायेगी पेश हो। "

आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, ऐसा प्रतीत होता है कि कुर्क किए जाने वाले मकान के स्वामित्व के संबंध में कोई तर्क विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था, और न ही विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने इसके स्वामित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया है। पुनरीक्षणवादी विधि के अनुसार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष विवादित मकान के स्वामित्व के संबंध में अपने तर्क उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह भी स्पष्ट है कि पुनरीक्षणवादी कार्यवाहियों के पक्षकार नहीं हैं और, इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल करके आक्षेपित आदेश को चुनौती देने का उनका कोई विधिक अधिकार नहीं है।

तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादियों को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष विवादित मकान के स्वामित्व के संबंध में अपने तर्क उठाने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत)

21 अगस्त, 2026

करन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”